Research Guru
Online Journal of Multidisciplinary Subjects (ISSN : 2349-266X)
UGC Approved Journal No. 63726
Impact Factor:3.021 website: www.researchguru.net
Volume-12, Issue-1, June-2018

भारतमे महिलाओकी स्थिति

डॉ.भरत आर.पटेल

आसि.प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग आट्स कोलेज,शामलाजी MO.9427366520

शोध सारांश

इस सन्दर्भ में सचान ने लिखा की -अगर हम भारतीय समाज पर द्रष्टिपात करे तो हम पाएंगे की चंद वर्षो में महिलाओ ने अपनी सफलता के ऐसे जंडे गाड़े है, जो भले ही उनके समक्ष नइ समस्याए पैदा करने वाले कारक बने हो, पर पुरानी रूढिया हिल गई है| आज भारत में महिलाएँ न्यायायिक सेवामे है, जो करीब 20 महिला जज है | सेना में भी महिलाओ का प्रवेश हो चूका है, महिला ठाणे भी खुल चुके है और विमान पायलट भी महिलाये है |चिकित्सक है | कुल मिलकर सायद ही कुछ ऐसा क्षेत्र हो, जो महिलाओ की हलचल में अछुता हो | पिछले दस सालो में भारतीय महिलाओ ने अपने स्थिति में अभूतपूर्व सुधार किया है |

भारतीय मूल भी डॉ.कल्पना चावला को नासा के अन्तरिक्ष यात्री दल के लिए चुने गए सिविलियन मिशन विशेषज्ञों के दल में सामिल किया गया | दुर्भाग्यवश डॉ.कल्पना चावला की दूसरी बार अंतरिक्ष यात्रा के दौरान सन् 2003 में मृत्यु हो गई | प्रसिद्द धाविका रोसा कुट्टी एवं भरोत्तोलिका मल्लेश्वरी को अर्जुन पुरष्कार मिला | मल्लेश्वरी को बिड़ला फाउंडेसन पुरष्कार और सन् 2000 में सिडनि ओलंपिक्स में कांस्य पदक भी मिला | भाग्यश्री थिप्से ने एशियन जोनाल सतरंज चेम्पियनशिप में इंटरनेशनल वुमन मास्टर का ख़िताब हासिल किया | संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र में अखिल भारतीय कोग्रेस अध्यक्ष के पद पर सोनिया गाँधी को पदासीन किया गया था | देश की प्रथम भारतीय पुलिस सेवा अधिकार श्रीमती किरण बेदी को 1994 में महानिरीक्षक कारगार, दिल्ली के पद पर रहेते हुए उसकी सराहनीय सेवाओं और जेल सुधार कार्यो के लिए प्रसिद्द रोमन मैग्सेस पुरस्कार से नवाजा गया था | इसके अतिरिक्त यदि भारतीय इतिहास उठाकर देखा जाये तो नारियो के कार्य कौशलो से इसके पन्ने भरे पड़े है |

प्राचीनकाल से महिलाओ को पुरुषोकी अपेक्षा निम्न स्थान दिया जाता रहा है पर अब यह स्थिति में काफी सुधार आया है| उन्हें पुरुषो के साथ कंधे से कन्धा मिलाकर काम करते देखा गया है|

प्राचीन काल मे महिलाओ की कोई मर्जी नहीं चलती थी पर अब ऐसा नहीं है| अब औरते अपने आप अपने निर्णय ले सकती है,नोकरी पी में भी स्थान प्राप्त कर सकती है | फिर भी देश में कोई स्थान ऐसे है जहा पर उन्हें निचा रखा जाता है, पर 'महिला योग' और 'सरकारी' एवं निजी संसथाओ ' की मदद से इसमें कमी आ रही है | अब वे 'वकील', 'डॉक्टर', 'पायलट', एवं 'संसद सभ्य' बन कर देश

को उन्नति की राह पर लेजा रही है |

वैसे तो प्राचीन काल से ही दुनियाभर में महिलाओ कोपुरुषो की अपेक्षा निम्न स्थान दिया जाता है , परन्तु शिक्षा और औधोगिक विकास के साथ साथ विकसित देशो में महिलाओ के प्रति सोच में परिवर्तन आया और नारी समाज को पुरुष के बराबर मान सामान और न्याय प्राप्त होने लगा | उन्हें पूरी स्वतंत्रता स्वंदता सुरक्षा एवं बराबरी के अधिकार प्राप्त है |कोई भी सामाजिक नियम महिलाओ और पुरुषो में भेदभाव नहीं करता |

हमारे देशमे स्थिति अभी भी प्रथक है, यधपि क़ानूनी रूप से महिला एवं पुरुषोको सामान अधिकार मिल गए है| परन्तु सामाजिक ताने बाने में आज भी नारी का स्थान दोयम दर्जे का है| हमारा समाज अपनी परंपराओ को तोड़ने को तैयार नहीं है जो कुछ बदलाव आ भी रहा है उनकी गति बहुत धीमी है| शिक्षित पुरुष भी अपने स्वार्थ के कारण अपनी सोच को बदलने में रूचि नहि लेता, उसे अपनी प्राथमिकता को तोड़ना आत्मघाती प्रतीत होता है | यही कारण है कमी महीला आरक्षण विधेयक कोई पार्टी पास नहीं कर पाई | आज भी माँ-बाप अपनी पुत्री का कन्यादान कर संतोष अनुभव करते है| जो इस बात का अहसास दिलाता है की विवाह दो प्राणियों का मिलन नहीं है, अथवा साथ साथ रहेना का वादा नहीं है, एक दुसरे का पूरक बनने का संकल्प नहीं है, बल्कि लड़की का संरक्षक बदलना मात्र है | क्योंकि लड़कि का अपना स्वंत्र अस्तित्व नहीं है | उनको एक रखवाला चाहिए|

उसकी कोई भावना इच्छा कोई मायने नहीं रखती | उसे जिस खूंटे बांध दिया जाये उसकी सेवा करना ही उसकी नियति बन जाती है| विवाह पश्चात् वर पक्ष द्वारा भी कहा जाता है की आपकी बेटी अब हमारी जिम्मे दारी हो गई | आपके अधिकार समाप्त हो गए | अब माँ बाप को अपनी बेटी को अपने दुःख दर्द में सामिल करने क लिए वर पक्ष से याचना करनी पड़ती है | उनकी इच्छा होगी तो आज्ञा मिलेगी वरना बेटी खून के आंसू पीकर ससुराल वालो की सेवा करती रहेगी|

इसी प्रकार पति अपनी पत्नी से अपेक्षा करता है की वह उसके माता पिता की सेवा में कोई कसर ना छोड़े, परंतू स्वयं उसके माता पिता (सास ससुर) से अभद्र व्यवहार भी करे तो चलेगा, अर्थात पत्नी को पाने माता पिता का अपमान भी बर्दास्त करना पड़ता है | यानी लड़के के माता पिता सर्वोपरी है और लड़की के माता पिता दोयम दर्जे के है क्योंकि उन्होंने लड़की को जन्म दिया था | आखिर वह दोगला व्यवहार क्यों ? क्या आज भी समाज नारी को दोयम दर्जा देना चाहता है | माता पिता लड़के के हो या लड़की के बराबर का सन्मान मिलाना चाहिए | यही कारण है की परिवार में पुत्री होने पर परिजन निराश होते है, और लड़का होने पर उत्साहित जब तक लड़का लड़की को संतान समज कर सामान व्यवहार समाज नहीं देगा तब तक नारी उथान संभव नहीं है|

अतीत में नारी के प्रति अन्याय, अत्याचार के गवाह सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध, बाल विवाह ,पर्दा प्रथा जैसी प्रथाओ का अंत होने के बावजूत नारी शोषण आज भी जारी है | दहेज़ अन्याय, बलात्कार, घरेलु हिंसा आज भी नित्य समाचार पत्रो की सुर्खिया बन रही है |

महिला योग द्वारा किये जा रहे प्रयाश एवं क़ानूनी योगदान प्रभावकारी साबित नहीं हो पाए है| आज भी समाज में नारी को भोगया समझने की मानसिकता से मुक्ति नहीं मिल पाई है | प्रत्येक

नारी को स्वयं शिक्षित, आत्मनिर्भर हो कर, अपने अधिकार पुरुष से छिनने होंगे | दुर्व्यवहार बलात्कार जैसे घिलोने अपराधोसे लड़ने के लिए अपने अन्दर शक्ति उत्पन कर डटकर मुकाबला करना होगा,तभी नारीको उचित सन्मान मिल सकेगा|

प्राचीनकाल में स्त्रियोको विशेष अधिकार प्राप्त थे| हमारे देशमे गार्गी, मैत्रेयि तथा अत्री आदि ऐसी अनेको नारियाँ हुई है जिनको सन्मानजनक स्थान प्राप्त था | लेकिन समय बदलता गया है और मध्ययुग आया जिसमे अत्यंत शोचनीय थी | वह घर की चार दिवारी में कैद थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 में स्त्रियों को पुरुषो के सामान अधिकार दिए गए | उन्हें पुरुषो के साथ कंधे से कन्धा मिलाकर चलने का अवसर दिया गया| लेकिन आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष, महिला दशक, इंटरनेशनल इयर ओफ़ गर्ल चाइल्ड के बाद वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण रूप में मनाया गया जो की इस बात का घोतक है के आजादी के 50-55 वर्ष बित जाने के बाद भी संविधान द्वारा दिए गए समानता के अधिकार से महिलाए वंचित है | संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के बावजूद महिलाओ के उत्पीडन की घटनाओ की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है | महिलाओ पर होने वाले अत्याचारों के अनेक रूप है जैसे कन्या भ्रूण हत्या, शिशु कन्या, हत्या परिवार में कन्याओ की शिक्षा और स्वास्थ्य की उपेक्षा, अल्पायु में विवाह, बाल्तकार, बालत वैश्याकरण आदि |

आधुनिक महिला जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषोकी प्रतियोगी है फिर भी वह पहेले से कही ज्यादा असुरक्षित है | संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 24.5 करोड़ महिलाए निरक्षर है| 90% महिलाए ऐसी है जिन्हें अपने स्वास्थ्य से सम्बंधित निर्णय लेने का अधिकार नहीं है | रिपोर्टमें वर्तमान समय में भी नवजात बच्चीओ की हत्या तथा भ्रूण हत्या पर भी प्रकाश डाला गया है | पुरुष वर्ग नारी को अपनी दासी के सामान समजता है | समाज में आज भी नारी की सामजिक दशा अच्छी नहीं है | और पुरुष वर्ग उन्हें अपने से निचा दर्जा देते है | भारतीय समाज में जीतनी परंपराए, रीती रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान पाए जाते है वे सब पुरुषो द्वारा निर्मित है, इसके पीछे नारी का शोषण छिपा रहेता है, परन्तु इसको धार्मिक लिबास पहेनाकर नारी को मानाने के लिया विवश किया जाता है|

<u>विभिन्न युगों में स्त्रियों की दशा</u>

भारत में प्राचीन काल से ही नारियो को विशेष महत्व दिया जाता रहा है तथा कहा गया है की जहा नारियो की पूजा होती है वहा देवता निवास करते है | कही नारी की पूजा रणचंडी दुर्गा के रूप में हुई है तो कही माँ सरस्वती के रूप में | नारी सुन्दरता की प्रतिक होने के नाते तारीफ का पात्र रही है | लेकिन धीरे-धीरे नारियो के स्थान में परिवर्तन होता गया | पुरुषो ने नारियो को दुर्बल समजकर उनके अधिकार व कार्यसिमा पर हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया| इसके परिणाम स्वरूप एक समय ऐसा भी आया जबकि नारियो की सीमा घरकी चार दिवारी तक सिमित होकर रह गई | परिवार में कन्या जन्म अशुभ माना जाने लगा | स्वतंत्रा प्राप्ति के पश्चात भारतीय समाज में नारियो की स्तिथि में काफी सुधार हुआ है | हमारे देशकी नारिया आज हर क्षेत्र में पुरुषोकी बराबरी करने का प्रयाश कर रही है | भारतीय समाज में नारियो की स्थिति या स्थान का संक्षिप्त अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया ज सकता है |

1. वैदिक काल:- भारतीय समाज वैदिक काल में नारी शिक्षा व विकास को महत्वपूर्ण स्थान देता था | उन्हें समाज तथा परीवार में विशेष स्थान प्राप्त था | उन्हें शिक्षा, विवाह, धर्म आदि क्षेत्रोमे पुरुषोके सामान अधिकार प्राप्त थे | पत्नी परिवार में महत्व पूर्ण स्थान रखती थी | इसीलिए उसे उद्द्गिनी का दर्जा प्राप्त था दोनों पति एवं पत्नी साथ-साथ यज्ञ करते थे | बिना नारी के धार्मिक कार्य अधूरा समजा जाता था |

2. उत्तर वैदिक काल 600 ई.पू. 300 ई.पू.:- इस काल नारियोको दशा में कुछ हास हुआ | नारियो को वेदपाठ की मनाई की गई तथा उनके यज्ञ करने पर रुकावट लगाई गई | पति के परमेश्वर होने की भावना का बीजा रोपण हुआ, विधवा पुनर्विवाह का पूर्ण निषेध हुआ और बाल-विवाह का आरंभ हुआ | धीरे-धीरे नारियो पर उनके निषेध लगा दिए गए| इनसे उनकी परिस्थिति काफी निम्न हो गयी लड़की पैदा होना परिवार के लिए अभिशाप माना जाने लगा | लेकिन इन सब के बावजूद नारी की स्थिति ज्यादा सोचनीय नहीं थी |

3. धर्मशास्त्र युग:- तीसरी सदी से 11 वी सदी के पूर्वार्ध तक को स्मृति युग भी कहा जाता है | इसमें गिरावट स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी | पति की सेवा करना ही धर्म बताया गया वे पति का चयन नहीं कर सकती थी ऐसा माना गया की नारियो का बाल्यपन पिता के संरक्षण में, युवावस्था पति के तथा वृध्धावस्था अपने बेटे की सरंक्षण में बितानी चाहिए | बाल विवाह का जोर, विवाह में कन्या की रूचि का अंत, पुरुष का नारी पर पर पूर्ण नियंत्रण विधवा पुनःर्विवाह का निषेध सती प्रथा आदि से नारी की गिरती हुई दशा का अनुमान लगाया जा सकता है |

4. मध्यकालीन युग:- मध्यकाल में नारियो की दशा में और ज्यादा गिरावाट आ गई | इस काल में स्त्री शिक्षा पूरी तरह समाप्त कर डी गई कन्या की उम्र 8-9 वर्ष की होते ही विवाह किये जाने लगे | विधवा पुनर्विवाह प्रतिबंधित हो गया | पर्दा प्रथा शुरु हो गई, सती प्रथा पर पूर्णतया रोक लगा दी गई इस युग में मुख्यरूप में नारियो की आर्थिक पराधीनता, कुलीन,विवाह प्रथा, अन्तर्विवाह, बाल विवाह, अशिक्षा और संयुक्त परिवार प्रणाली को ऐसे कारण माना गया है जिस जिनसे नारियो की स्थिति में अत्याधिक गिरावट आ गई |

5. वर्तमान युग:- वर्तमान युग मध्य 19वीं सदिमे भारतीय समाजमे नारियोकी स्थिति का अध्ययन दो उपशीर्षको के अंतर्गत किया जा सकता है -(अ) स्वतंत्रता प्रप्तिसे तथा (ब) स्वंत्रता प्राप्ति के बाद नारियोंकी दशा आजादी प्राप्ति से पूर्व नारिया अनेक सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक व राजनैतिक निर्योग्यताओ का शिकार रही | इस युग में नारियोकी निम्न परिस्थिति बनाए रखने में अशिक्षा, आर्थिक, पराधीनता बाल विवाह, संयुक्त परिवार प्रणाली, वैवाहिक प्रथाए, कुलीन विवाह, बहुपत्नी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध, दहेज़ आदि तथा मुसलमानों के आक्रमण आदि कारको ने महत्व पूर्ण भूमिका निभाई | अंग्रेजी शासनकाल में नारी की स्थिति में सुधार होना प्रारंभ हुआ |

वर्तमान समय में भारतीय समाज में नारियो की दशा स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व काफी सुध्रढ हो चुकि है | राजाराम मोहनराय, ईश्वरचंद्र विध्यासागर, एनी बेसेंट ताथ महात्मा गाँधी ने नारी उथान के लिए काफी कार्य किए| आज भारतीय नारी को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार प्राप्त है | आर्थिक क्षेत्र में व पुरुषो के कंधे से कन्धा मिलाकर कार्य कर रही है | तलाक का अधिकार प्राप्त है| पारिवारिक सम्पति मे उन्हें उत्तराधिकार प्राप्त है | राजनैतिक क्षेत्र में नारिया पुरुषो से पीछे नहीं है |

वास्तव में हामारे देश में सामाजिक क्रियाकलापों से लेकर राजव्यवस्था तक के कार्यो में भारतीय महिलाओ हस्तक्षेप निश्चित रूप से बढे है | स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के प्रचार, औध्योकीकरण व नगरीकरण एकाकी परिवारों की संख्या में वृध्धि नारियोमे सामजिक चेतना अंतर्जातीय व प्रेम विवाहो के प्रचलन, राजनैतिक चेतना तथा वैधानिक सुविधाओ जैसे कारको ने नारियोकी परिस्थिति को पुरुषो के बराबर लाने में सहायता दी है | राजनीति में प्रवेश के कारण नारियाँ शक्ति संपन्न पदों पर भी पहोचने में सफल रही है |

स्त्री की आधुनिक दशा

हमारे राष्ट्र में स्त्रियों की स्थिति अन्य राष्ट्रों की तुलना में काफी सुद्रढ़ संस्कारित एवं विकासात्मक है | राजनितिक क्षेत्र भी वे पुरुष से कम नहीं रह पाई है | यह सब विवेचन भविष्य के लिए स्वर्णिम संकेत है के भारतीय नारी के भावी जीवन से धीरे-धीरे सभी दुषीत एवं सामाजिक बुराइयाँ दूर हो जाएगी | वे अपना मानसिक विकास कर सकेंगी तथा पुरुषो से सभी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेगी | यह माना जा रहा है की आर्थिक दृष्टी से भी वे कभी किसी पर आश्रित नहीं रहेगी | अब भारतीय नारी अबला ना रहकर सबला बन गई है | हमारे देश में शिक्षा का काफी प्रसार हो रहा है | आवश्यकता इस बात की है की नारी को परिवार का न्यून सदस्य नहीं समजना चाहिए | समाज में स्थिति व सन्मान बढ़ा है पर घर की भूमिका में खास परिवर्तन न होने से घरके काम भी उन्हें पुरे करने पड़ते है | इसका असर उनकी सेहत पर भी पड़ता है |

भारतीय नारियो की प्रमुख समस्याए निम्न लिखित है-

1. भारतीय नारिओकी प्रमुख समस्याए :-

भारतीय समाज पुरुष प्रधान है | भारत में परम्परात्मक रुप से पितृसतात्मक संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है जिसमे परिवार के पुरुष सदस्यो को तो अनेक अधिकार एवं सुविधाए प्राप्त है, किन्तु स्त्रियोको उनसे वंचित किया गया है | संयुक्त परिवार व्यवस्था में स्त्रिया दासी की तरह जीवन व्यतित करती है उनका जीवन खाना बनाने, बच्चो को जन्म देने, उसकी देखरेख करने एवं परिवार के सद्स्योकी सेवा करने मे ही व्यतीत हो जाता है | स्त्रिया घरेलु हिंसा एवम मानसिक उत्पीड़न का शिकार रहती है | परिवार की शान बान के लिए वह भेदभाव पूर्ण रहती है |

2. वैवाहिक समस्याए:-

परिवार की तरह ही भारतीय स्त्रियों की प्रमुख वैवाहिक समस्याए निम्न लिखित है -

1. तलाक:-

बेमेल विवाह कि स्तिथि में पुरुषो का हथियार जिसका शिकार स्त्री होती है |

2. बहु पत्नी विवाह:-

एक आदमी अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता है |

3. दहेज अथवा अभिशाप के रूप में स्त्री के विवाह पर सामज की देंन|

4. बाल-विवाह अथवा कम आयु में विवाह कर देना |

5. विधवा पुनर्विवाह :-

यहाँ भी पुरुषो के सामान अधिकार स्त्रियों को प्राप्त नहीं है |

6. वेश्यावृत्ति:-

वेश्यावृत्ति एक सामाजिक बुराई के रूपमें अति प्राचीन समयसे प्रचलित रही है | इस प्राचीन व्यवस्था का वर्त्तमान में व्यापारीकरण हुआ है | यौन पवित्रता पर बल, बाल-विवाह, विधवा विवाह का आभाव, दहेज़, जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की इच्छा गरीब नारी की आर्थिक परामिश्रतता, दुःखी वैवाहिक जीवन एवं स्त्रियों के लिए रोजगार के अपर्याप्त अवसर,आदि ऐसे कारण है जिन्होंने इस बुराई को फेलाने में योग दिया है |

7. स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याए :-

गरीबी, बेकारी, स्वास्थ्य के नियमो के प्रति अज्ञानता, चिकित्सा सुविधाओ का आभाव एवं व्यापक बीमारियाँ | क्योंकि भारतीय समाज पुरुष प्रधान है, अतः पुरुषो के स्वास्थ्य का तो फिर भी ध्यान रखा जाता है, किन्तु स्त्रियों के स्वास्थ्य की तरफ समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है इसी कारण यहाँ लिंग अनुपात में पुरुषो की अधिकता, स्त्रियों के मृत्यु दर की प्रबलता एवं जीवन अवधि कम है | असमान लिंग अनुपात स्त्रीयो की औसत आयु में कमी एवं मृत्यु-दर में अधिकता के लिए, बाल विवाह, प्रसव काल में स्त्रियोकी मृत्यु, स्त्रिओकी आर्थिक पराश्रीतता लडकियों की उपेक्षा लडको को अधिक महत्व देना, कुपोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओ का आभाव आदि उत्तरदायी है | अधिकाशंत: महिलाओ में यौन सबंधी रोग भी अधिक भी देखने को मिलते है |

8. आर्थिक समस्याए:-

भारत में पुरुषो की अपेक्षा में स्त्रियोको कम वेतन एवं पारिश्रमिक दिया जाता है | चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग हो या कोई अन्य क्षेत्र हो | अधिकाशंत महिलाए कृषी कार्य से ही सम्बंधित है | इसके अतिरिक्त वे खनन पशु-पालन एवम श्रमिक कार्यमे भी लगी हुई है | उच्च पदों पर आसीन स्त्रियों को गिनती की है| संयुक्त परिवार प्रणाली, पुरुषो पर निर्भरता, स्त्री अशिक्षा, अज्ञानता, पर्दा प्रथा रूढ़िवादिता आदि कारणों से स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर तक ही सीमित है और वे अक्षर कमाने के लिए बहार नहीं आती, फल स्वरूप उन्हें अपने भरण पोषण तक लिए उन्हें पुरुष से आशा रखनी होती है | निम्न आर्थिक दशा के कारण परिवार एवं समाजमे भी उनकी प्रतिष्ठा उच्च नहीं हो पाती और उन्हें इसके कई दुष्परिणाम सहने पड़ते है |

9. सामजिक समस्याए:-

स्त्रियों की एक समस्या स्त्री-पुरुषो की भूमिका में विभेद करने की है | यध्यपि भारतीय संविधान में स्त्री-पुरुषो के मध्य अधिकारों की समानता पर बल दिया गया है | स्त्रिया चाहे खेतोमें कारखानोंमें, भवन-निर्माण एवं खदानों में काम करे और चाहे सफ़ेदपोश नोकरिया करे उसे उसी प्रकार गृह कार्यो की निर्वाह की आशा की जाती है जिस प्रकार एक गृहस्थी तक सिमित स्त्री से की जाती है | बाहरी दुनिया में उनकी भूमिका को पुरुषो की भूमिका की भांति स्वीकार नहीं किया गया है समुदाय के लिए निर्णय लेने, राजनितिक शक्ति का प्रयोग करने, गाव एवं जाती-पंचायत में भाग लेने आदि कार्यो को पुरुषो तक ही सिमित किया गया है | घर के बहार पुरुष चाहे शारीरिक श्रम का कार्य करे, लेकिन वही कार्य घरमे करना उसके लिए अपमानजनक माना जाता है और स्त्री से उसे करने की उपेक्षा की जाती है |

10. पर्दा-प्रथा:-

स्त्रियों से यह उम्मीद की जाती है की वह घूँघट निकाले और अन्य पुरुषो से दुरी बरते, उनके सामने खुले मुह बात ना करे | पर्दा प्रथा के कारण स्त्रियों के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पता है ग्रहण

करने से वंचित रह जाती है तथा इससे स्वास्थ्य पर भी घातक असर होता है | वर्तमान में धीरे-धीरे यह प्रथा समाप्त होती जा रही है |

11. शैक्षणिक समस्याएँ:- भारत में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है | स्त्रियों में तो यह प्रतिशत और भी निम्न है | 1991 में महिलाओ में साक्षरता का प्रतिशत 39.29 व पुरुषो का 64.13 था जो 2001 में बढ़ कर क्रमशः 54.16 व 75.85 हो गया | यह भिन्नता अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है | केरल में साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है, जब की बिहार व जारखण्ड में कम है | बिहार में स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत केवल 33.57 प्रतिशत है | जो की देश में सबसे कम है | 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 18.95 करोड़ स्त्रिया निरक्षर है | भारत में नगरो की तुलना में गावों में तो स्त्री साक्षरता बहुत कम है | डाक्टरी, इंजीनिअरिंग, वकालत एवं अन्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या तो और भी कम है | स्त्रिओ को शिक्षा न दिलाने का कारण पर्दा प्रथा और स्त्रियों की पुरुषो पर निर्भरता एवं उनका कार्य क्षेत्र घर तक ही सिमित होना है | अतः यह नितांत अनिवार्य है की भारतीय समाज में नारियो का सही स्थान निर्धारित करने के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निदान करने के साथ-साथ उनके विकाश को उत्तरोत्तर बनाए रखने के लिए हमें पर्याप्त ध्यान देने चाहिए |

<u>नारी उत्थान के प्रयास</u>

1. स्त्रियों के लिए सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम:-

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 1958 ई. प्रारंभ इस कार्यक्रम के तरह जरुरत मंद व शारीरिक रूप से अक्षम नारिओको काम और मजदूरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है | निम्न आय वालि कार्यरत नारियो के लिए शहेरो व महानगरो में सस्ते एवं सुरक्षित आवास उपलब्ध करना |

2. स्त्री शिक्षा:- सामाजिक-आर्थिक गति को तेज करने में लडकियों और महिलाओ की शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए सरकार ने समय-समय पर इस शिक्षा में अनेक कदम उठाए है |राष्ट्रिय शिक्षा निति में व्यवस्था है के शिक्षा को स्त्रियों के स्तर में बुनियादी परिवर्तन लाने के साधन के रूप में प्रयोग में लाया जायेगा |

3. विध्याई उपाय:- सरकार ने अनेक विध्याई उपायों द्वारा भी स्त्री की दशा में सुधर करने का तथा उन्हें पुरुषो के समान अधिकार दिलवाने का प्रयाश किया है जिनका अनुपालन न किया जाना दंडनीय अपराध है |

1. कमिशन ऑफ़ सती निरोधक अधिनियम,1987
2. स्त्री का अभद्र चित्रण निषेध अधिनियम,1986
3. दहेज़ निषेध संशोधन कानून,1986
4. कारखाना संशोधन अधिनियम,1976
5. बाल-विवाह अवरोधक संशोधन अधिनियम,1978
6. अनैतिक व्यापार निवारण कानून,1986
7. सामान पारिश्रमिक अधिनियम,1976
8. हिन्दू विवाह अधिनियम,1955

सन् 70 के दशक में नारी के विकासशील मुद्दों का केंद्र कल्याण पर आधारित था जो 80 के दशक में विकास पर आधारित हुआ फिर 90 के दशक में सशक्तिकरण पर आधारित था | 21 वीं सदी में

महिला उथान के मुद्दों में सर्वाधिक बहस महिला आरक्षण विधेयक को लेकर हुई है | इसके अंतर्गत नारी को विधान सभा, लोकसभा, ग्राम पंचायत इत्यादि राजनैतिक संस्थाओ में 33% प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव है इससे नारी को अधिक से अधिक राज नीतिक संस्थाओ में भागिदार बनाया जा सके|

4. रोजगार तथा आमदानी बढ़ने वाली उत्पादन इकाईया:-

यह योजना वर्ष 1982-1983 में नोर्वे की अंतराष्ट्रिय विकास संस्था के सहयोग से शुरु की गई | इस कार्यक्रम से गरीब ग्रामीण नारिया, अनुसूचित जाती व जनजाती जैसे कमजोर वर्गों की नारिया, युद्ध में मारे गए सैनिको तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन में लगे संगठनो में मृत कर्मचारियो की विधवाओ को लाभ मिल रहा है | नारी प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम में सहायता मे नारियोके काम करने वाले क्षेत्रो जैसे कृषि, दुग्ध उत्पादन पशुपालन, मचली पालन, खादी व ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प और रेशम विकास आदिमे नारी को रोजगार देने क लिए लागू की गई | इस प्रकार के विकास से जहा नारियो की समस्याए समाप्त होगी बड़ी उनमे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी |

5. स्त्रिओ पर अत्याचार प्रतिबन्ध हेतु शैक्षिक कार्य:-

स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिये शैक्षिक कार्य की एक योजना के तहत सामाजिक कार्यकर्ताओ और सामाजिक अधिकारिओ सहित दुसरे लोगो के लिए प्रशिक्षण शिविरोका आयोजन कानूनी शिक्षा प्रशिक्षण शिविर स्त्रियों के लिए परा-कानूनी प्रशिक्षण/कानूनी शिक्षाकी पुस्तिकाए, मार्गदर्शिकाए, आरंभिक किताबे आदि बनाना तथा परम्परागित माध्यमो धवारा नारियो पर हो रहे अत्याचारो के बारे में लोगो को जानकारी देने हेतु कार्यक्रम चलाये जाते है |

कई स्वैच्छिक संगठन बाल विवाह, दहेज़ प्रथा और लडकियों की पढाई छुड़ाने जैसी कुरितियो के अन्मुलन के लिए जनमत तैयार करने तथा उनके सहयोग प्राप्त करने के कार्यक्रम में सक्रीय रूप से जुड़े हुए है |

6. प्रौढ़ स्त्रियों के लिए शिक्षा के सघन पाठ्यक्रम :-

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 1958 ई. में शिक्षा के सगन पाठ्यक्रम शुरु किये गए जिसका उद्देश्य जरुरत मंद नारियोको रोजगार के नविन साधन उपलब्ध करना तथा प्राथमिक पाठशाला के शिक्षको, बाल सेविकाओ, नर्स, स्वास्थ्य परिचारिकाओ, दाइओ और विशेषत: ग्रामीण इलाको में परिवार नियोजन कार्य करतो का एक सक्षम तथा प्रतिशिक्षित वर्ग तैयार करना था |

7. स्वाथ्य बाल कल्याण सेवाए:-

केंद्र सरकार ने राष्ट्रिय स्वास्थ्य निति 2002 को मजूरी देकर पुरे देश में एक सामान चिकित्सा सेवाए उपलब्ध करने का अपना विकल्प दोहराया है सरकार द्वारा सन् 2010 तक सफल घरेलु उत्पादन का 6% स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय किया जायेगा और राज्य सरकार पर भी निर्देश दिया गया है की महिला व बाल कल्याण सेवाओ के संचालन में कोई ढील न डाले| प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओ के लिए सुरक्षित कोष उपलब्ध हो और इन सेवाओ पर संरचात्मक सुविधाए उपलब्ध काराई जाएगी |

संशोधन निषकर्ष

भारतीय नारी की ये सब उपलब्धिया सच है, पर उतना ही सच है उनकी दशा का अन्धकार पक्ष | हमें इस सत्यको नहीं भुलाना चाहिए की ये सब उपलब्धिया शहरी महिलाओ तक ही सिमित है | वास्तविकता अह है की भारतीय गावो और नगरो के रूढीवादी परिवारों में स्त्रियों की स्थिति अब भी

अधिक अच्छी नहीं है | स्त्रियों की उच्च स्थिति का वर्णन करते समय स्त्रियोकी दशा के इस पक्ष को भी नहीं भुलाना चाहिए | बिहार, राजस्थान, तामिलनाडू आदि राज्यों में नवजात बच्चीओ कन्या भ्रूण की हत्याए आज भी चोकने वाली संख्या में घटित हो रही है, क्यों महिलाओ पर अत्याचारों, बलात्कार, दहेज़-हत्याएँ आदि का सिलसिला अभी थमा नहीं है | भारत में प्रति वर्ष दहेज़ हत्याए बढ़ रही है, पर दहेज़ के कारण बहुओ की हत्या करने वालो को सजा मिलना मुश्किल है | संयुक्त राष्ट्र संघ की वार्षिक रिपोर्ट के भारत के महिला विकास मापदंड को 99वाँ स्थान दिया गया है, आर्थिक एवं राजनैतिक निर्णयों में महिलाओ की भागीदारी के मामले मे भारत को 116 राष्ट्रों में 101 वा स्थान मिला है | शोध के अंतमें ये कहा जा श्नाकता है की कहिना कही आजभी भारतीय महियाले विभन्न प्रकार की समस्याओ का सामना करती मालूम पड़ती है |

REFERENCES

1. Krishnaraj Maitreyi. (1989) Concept Series, Vol,l,ll and lll, S.N.D.T,N Mumbai.
2. Gandhi Nandita&Shah Nandita.(1992). Issues at Stake, Populer Prakashan, Mumbai
3. SenIllina. (1992). Space Within the Struggle, Kali for women, New Delhi.
4. Krishnaraj Maitreyi. (1998). Gender, Population and Development, New Delhi.
5. Patil Sharad. (1994).Dasa-Shudra Slavery, Sugawa Prakashan,pune.
6. ડૉ.ચંદ્રિકા રાવલ.(૨૦૧૩)જેન્ડર અને સમાજ, પાર્શ્વ પબ્લિકેશન,અમદાવાદ.